मशीनी औजार आदिरूप फैक्टरी
आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई
भारत सरकार का उद्यम
रक्षा मंत्रालय

MACHINE TOOL PROTOTYPE FACTORY
UNIT OF ARMOURED VEHICLES NIGAM LIMITED
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
MINISTRY OF DEFENCE

CIN-U35990TN2021GOI145504

ADVERTISEMENT

CHIEF GENERAL MANAGER, MACHINE TOOL PROTOTYPE FACTORY, AMBARNATH, A UNIT OF AVNL, GOVT. OF INDIA ENTERPRISE Invites applications for engagement of 61th Batch of Trade Apprentices in accordance with the provisions contained in the Apprentices Act 1961 & (Amendment) Act,1973 from Non-ITI & Ex-ITI candidates in different trades as per details given below:-

Sl no.	NON- ITI/Ex-ITI	Name of Trade	UR	OBC	SC	ST	EWS	OH	HH	VH	Total	Grand Total
1.	Non-ITI	Fitter	09	04	01	01	02	-	-	-	15	Total 83
2.		Turner	11	06	02	02	02	-	01	-	21	
3.		Machinist	15	07	03	02	03	-	-	-	27	
4.		MMTM	10	06	02	02	01	-	01	-	20	
5.	Ex-ITI	Fitter	08	04	02	01	02	-	-	-	15	Total 79
6.		Turner	10	06	02	02	02	01	01	-	20	
7.		Machinist	14	07	03	03	03	01	-	-	27	
8.		Electrician	03	02	01	01	01	-	-	-	07	
9.		Electronics	04	01	0	01	0	-	-	-	06	
10.		Welder (G&E)	03	01	0	0	0	-	-	-	04	
GRAND TOTAL												162

AGE LIMIT: Between 15 to 24 years as on last date of receipt of application. Relaxation in upper age limit is permitted as under:-

SI. No	Category	Age Relaxation on Age Limit
a)	For SC/ST Candidates	Age relaxation will be as per Government of India directives for different categories.
b)	For OBC candidates	
c)	For EWS candidates	
d)	For Physically Handicapped (PH) / Physically Challenged (PC) or Differently Abled Candidates	
e)	For ITI Candidates	Upper age limit is further relaxed by the period of training already undergone as per the normal duration of NCVT/SCVT in The relevant trade.

2. **ESSENTIAL QUALIFICATION:**

a. For Non-ITI Category — Should have Passed Madhyamik (class X std or equivalent) as on date of notification for applying with minimum 50 % marks in Aggregate and with 40% marks in Mathematics and Science each.

b. For ITI Category — Should have passed relevant trade test from any institute recognized by Category NCVT or SCVT or any other authority specified through Gazette notification of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship/Ministry of Labour and Employment with duration as per the Apprentice Act 1961 plus passed Madhyamik / Class X std or equivalent (Minimum 50 % aggregate marks both in Matriculate/Class Xstd and ITI). The relevant trade to be considered will be strictly on the basis of Schedule of Apprentice Act 1961 (and amendments thereof).

3. VACANCY DETAILS:

I. The number of vacancies notified is provisional.

II. Vacancies in the trades for Ex-ITI candidates (ITI Passed) available are already mentioned above. The Ex-ITI candidates can apply against one of the designated trades only. However, trades for Non-ITI candidates will be allotted on the basis of merit cum choice of the candidates, vis-à-vis vacancies in various trades available in Machine Tool Prototype Factory, chosen by the NON-ITI candidate.

III. PH/PWD candidates can also apply against vacancies as per their eligibility. Their selection will be done as per prevailing vacancies against each trade during the selection process, considering their suitability as per provisions of Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules,1992 and amendments thereof.

IV. When the prescribed number of persons belonging either to the Scheduled Castes(SC) or to the Scheduled Tribes (ST) are not available, the training places are reserved for them may be filled by persons belonging to the ST or as the case may be, to the SC and if the prescribed training places cannot be filled even in the above given manner, then the training places solely unfilled may be filled by persons not belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. Similarly, if the prescribed training places reserved for Other Backward Classes cannot be filled from the OBC, then the training places solely unfilled may be filled by persons not belonging to the OBC.

4. HOW TO APPLY:

A. Candidate must submit the application form mentioned at Annexure-I.

B. Candidates must fill their personal details carefully. Candidates should ensure that their name, father's name, date of birth, marks obtained shall exactly match with what is recorded in Matriculation or equivalent certificate etc. Any deviation found during Document Verification will lead to cancellation of candidature and also debarment.

C. Candidates are advised to indicate their active mobile number and valid E-mail ID in the application.

i. While filling up the application form a recent passport size colour photograph has to be pasted.

ii. Candidate should sign the application.

III. 12 digit Aadhaar Card Number. The candidates not having Aadhaar Number but who have enrolled for Aadhaar, can write the first 14 digit Enrolment ID printed on the Aadhaar enrolment slip.

iV Copy of following original documents duly attested by Gazetted Officer should be attached with the application form:

a) Identity Card in the absence of Aadhaar

b) SSC (Matriculation / 10^{th} Standard) or its equivalent mark sheet.

c) Certificate for proof of date of birth (10 th Standard or its equivalent Matriculate certificate or mark sheet indicating date of birth or school leaving certificate indicating date of birth).

d) Consolidated mark sheet for all semesters of the relevant ITI Pass trade against which applied/Provisional National Trade Certificate indicating marks.

e) National Trade Certificate issued by NCVT or Provisional National Trade Certificate issued by NCVT/SCVT for ITI pass candidates.

f) Caste certificate for SC/ST/OBC candidates, wherever applicable. For OBC Non-Creamy layer candidates, the candidates should also attach their OBC Non creamy layer certificate issued in last three years.

g) Physical Disability certificate, in case of PH/PWD candidate issued by the competent Medical Board/Authority.

h) Candidates applying under EWS Quota must attach copy of EWS certificate issued by Tehsildar or District Magistrate.

i) No unclear/illegible documents shall be accepted and the candidate's application will be rejected at the time of verification of documents.

j) Only one application from a candidate will be accepted. Candidates submitted more than one application with different particulars like Name / Father's name/Community/Photo/educational and/or technical qualification etc. are informed that all such applications will be summarily rejected.

k) Provisionally selected Candidates having Aadhar card shall have to produce Original Aadhaar card or the document mentioned above at the time of document verification for the purpose of identification.

l) Copy of the caste certificates in case of SC/ST and OBC candidates in the prescribed Central Government Performa issued by appropriate authority shall have to produced in original at the time of document verification.

5. MODE OF SELECTION:

Selection will be done on the basis of merit list. The merit list will be prepared separately for NON-ITI and EX-ITI category. The merit list for NON-ITI category will be prepared on the basis of overall percentage of marks in Madhyamik or matriculation (Class X standard or equivalent), aggregate in all subjects and irrespective of Board. For NON-ITI category, a common merit list will be prepared and the trades will be allotted by on Merit-cum-choice basis after selection.

The Merit List for Ex-ITI category will be prepared trade-wise, on the basis of simple average of percentage of marks both in Matriculation and ITI (minimum 50 % in aggregate in each). For the purpose of calculation of percentage of Matriculation, marks obtained by the candidates in all subjects will be taken to account and for calculation of percentage of ITI marks, marks mentioned in provisional / final certificate will be taken. The aggregate marks obtained by the candidates in Madhyamik (Class X or equivalent) shall be considered irrespective of Board/ Exam System and shall be considered as per percentage formula of that Board /Exam System only.

Based on the vacancy position, select lists will be prepared and only provisionally selected candidates will be called for document verification and medical examination. For preparation of merit list, in case of two candidates having the same marks/ percentage (tie case), the candidates with older age shall be preferred. If the dates of birth are also the same, then the candidates who passed Matriculation
Examination earlier (Year) shall be considered first. Even if the Year of passing of Matriculation examination is same, the candidate name in alphabetical order appearing first will be considered first.
Utmost care shall be taken while finalizing the select list of eligible candidates. In case of any mistake or error by over sight or otherwise, MTPF reserves the right to take action to revise select list of eligible candidates, as deemed fit, at any point of time and in this regard the decision of MTPF/AVNL shall be final.

6 RESERVATION FOR SC/ST/OBC & PH CANDIDATES:-

Reservation is applicable as per the relevant schedule in the Rules under the Apprentice Act, 1961, Apprenticeship Rules 1992 and amendments thereof and the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and existing Government Rules. Vacancies notified against PH/PWD category are not separate but included in the total number vacancies as per provision. Final selection of the candidates will be made in order of merit in each category, separately as per applicable Reservations Rules,

7 DURATION OF TRAINING :-

For Non-ITI- 2 Years of training.
For Ex-ITI - Year of training.

8 STIPEND :-

The minimum stipend per month shall be paid to the trade apprentices as per AVNL Letter No.AVNL/CO/HR/12/T&D/2025-26 dt. 30/04/2025:-

For NON-ITI Apprentice: -	
During 1st year of training	Rs.12600/-per month.
During 2nd year of training	Rs. 14400/-per month
For Ex-ITI Apprentice :-	
For All ITI 2 Year Trades	Rs.16200/-per month.
For All ITI 1 Year Trades	Rs.14400/-per month.

No other allowances will be paid during the entire period of apprenticeship training.

9 STANDARD OF PHYSICAL FITNESS: As per the Apprentice Act, 1961, Apprenticeship Rules1992 and amendments thereof.

10 MEDICAL EXAMINATION:

After successful document verification of the provisionally selected candidates, Every selected candidate shall be required to undergo medical examination by Asst. Civil Surgeon of Govt. Hospital/CGHS recognized hospital. All engagements will be subject to the candidate's medical fitness as per prescribed standards for the post. The opinion of the authorized doctor in this regard shall be final. An employee shall be liable to be medically examined any time during the period of his engagement with the Company. The engagement shall be terminated any time if found medically unsuitable/unfit for such engagement.

11 TERMS & CONDITIONS:

The selected candidates will have to execute a Contract of Apprenticeship (if minor, by his/her guardian). During the training, the Apprentices are entitled for MEDICAL treatment from Ordnance Factory Hospital only as per rules. If a candidate is selected as Trade apprentice, against the designated trades, his / her training shall be subject to registration by respective RDSDEs.

If due to any reason the RDATs/RDSDEs are not able to register the candidate,the training of the candidate shall be terminated immediately. The Candidate who have completed the period of training will, on passing at test to be conducted by the National Council for Training (NCVT) in Vocational Trades to determine his/her designated proficiency in which he / she has served, as an Apprentice, will be given a certificate of proficiency in the trade by the National Council. In the event of premature termination of Contract of Apprenticeship for failure on the part of apprentice to carryout the terms and conditions of the contract (as notified under the Apprenticeship Rules 1992) and amendments thereof, the candidate/surety has to pay such amount as is determined by the Apprenticeship Adviser as and towards the cost of training.

12 OFFER & ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT:-

It shall not be obligatory on the part of the Employer to offer any employment to any Apprentice after completion of the neither training, nor shall it be obligatory for the Apprentices to accept any employment, if offered by the Employer. The candidates are advised to get themselves familiarized with the rules and regulations under the Apprentices Act, 1961, Apprenticeship Rules1992 and amendments thereof and Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

13 MEDICAL FITNESS :-

A person shall be eligible for being trained under the Apprentices Act,1961 and Apprenticeships Rules, 1992, as amended from time to time, if he or she satisfies the minimum standards of physical fitness as prescribed therein for imparting training in the relevant trades which will be certified by the Civil surgeon of District Govt. Hospital/CGHS Hospitals.

14 GENERAL INFORMATION TO CANDIDATES : -

Candidates are advised to note the following instructions carefully:-

I Interested candidates may apply as per enclosed format giving complete bio-data with Xerox copies of all certificates including caste certificate & Date of Birth proof & mark sheets duly attested by Gazetted Officer or any other Competent Authority and send it to " The Chief General Manager, Machine Tool Prototype Factory, A Unit of AVNL, Govt. of India Enterprise Ambarnath Dist – Thane, Maharashtra, Pin: 421 502", so as to reach this office on or before 01/09/2025.

II It is to be noted that mere submission of application does not guarantee induction as trade apprentice. The selection of candidates will be made based Merit List/ Select List considering available vacancies category-wise. The candidature of all applicants shall be purely provisional at all stages of selection process. The candidature and selection of candidates shall also be subject to scrutiny of original copy of credentials /documents, clear police verification report, medical test and other eligibility criteria as mentioned in the advertisement and provisions of Act Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules,1992 and all amendments thereof.

III The candidates are required to carefully go through the advertisement in detail. The candidates are advised to carefully submit / enter the marks / percentage obtained in educational eligibility criteria.

IV Candidates are required to give valid mobile number and e-mail Id.

V Canvassing of any kind will disqualify the candidate. Selection process is done strictly on merit.

VI Candidates are advised not to fall prey to any unscrupulous elements.

VII Any material suppression of facts or submitting forged certificates shall lead to rejection of his / her candidature at any stage of selection of this process.

VIII Decision of MTPF/AVNL in all matters relating to the eligibility, acceptance/rejection of any application etc. shall be final and binding on the candidate and no query/correspondence shall be entertained in this regard.

IX Any subsequent changes in the terms and conditions of the engagement of Trade Apprentices as per the extant rules will stand good. MTPF reserves the right to incorporate any subsequent changes/modifications/additions in the terms & conditions under this advertisement notice as necessitated and applicable.

X The Competent Authority reserves the right to adopt **any alternative lawful** mode of selection in part or in whole, in case of contingency.

XI No Transport Allowance shall be admissible to any candidates called for Documents Verification/Medical Examination.

XII All the provisions of Act Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules,1992 and all amendments thereof as on date are applicable.

APPLICATION FOR ADMISSION FOR TRAINING AS TRADE APPRENTICE IN
MACHINE TOOL PROTOTYPE FACTORY, UNIT OF ARMOURED VEHICLES NIGAM LIMITED,
A GOVT.OF INDIA ENTERPRISE, MINISTRY OF DEFENCE
APPRENTICES ACT 1961 & DISABILITIES ACT1995

ADVT. NO. AND DATE____
APPLICATION FOR NON-ITI / ITI CATEGORY IN____TRADE
(Strike out whichever is not applicable)

Paste a recent
Passport size
Photograph

To,

THE CHIEF GENERAL MANAGER
MACHINE TOOL PROTOTYPE FACTORY
ORDANACE FACTORY ESTATE
AMBARNATH (W) –
DIST-THANE ,MAHARASTRA -421502

Sl. No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	FULL NAME OF THE APPLICANT(AS PER SCHOOL CERTIFICATE MOBILE NO. EMAIL ID:	
2.	FATHER'S/MOTHER'S NAME	
3.	FULL POSTAL ADDRESS WITH PIN –CODE NO.	
4.	IF MINOR –NAME , RELATIONSHIP AND ADDRESS OF THE GUARDIAN	
5.	AADHAR NO.	
6.	DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY)	
7.	SEX	MALE/ FEMALE
8.	NATIONALITY	
9.	STATE OF DOMICILE	
10.	MARITAL STATUS	MARRIED/ UNMARRIED
11.	WHETHER BELONGS TO SC /ST /OBC /PWD /EWS	YES/NO
12.	DEGREE OF DISABILITY(FOR PH CANDIDATES)	
13.	EDUCATION QUALIFICATION	

<table>
<tr><td rowspan="2">I)EXAMINATION PASSED,
II)YEAR OF PASSING OUT
III) NAME OF BOARD UNDER WHICH EXAMINATION HELD</td><td colspan="2">MARKS OBTAINED IN MATRICULATION OR EQUIVALENT EXAMINATIONONWARDS</td><td>PERCENTAGE(%) OF MARKS</td></tr>
<tr><td>TOTAL MARKS OBTAINED /OUT OF TOTAL MARKS</td><td>PERCENTAGE(%) OF TOTAL MARKS OBTAINED</td><td>I)IN MATHEMATICS
II) IN SCIENCE(PHYSICS & CHEMISTRY)</td></tr>
<tr><td>i)
ii)
iii)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

14. TECHNICAL QUALIFICATION (FOR ITI CATEGORY APPLICANTS):

NAME & ADDRESS OF ITI OR EQUIVALENT INSTITUTE	NAME OF THE EXAMINATION PASSED & YEAR OF PASSING	TRADE IN WHICH PASSED	PERIOD OF STUDY	TOTAL MARKS OBTAINED / OUR OF TOTAL MARKS

15. Declaration:- I Hereby declare that all statements made in the above application are correct andI have applied against one specific trade vacancy. I understand that I am liable to be disqualified at any stage if the information furnished above is found to be incorrect / incomplete	
Full Signature of the Guardian (incase the applicant is minor) Date:	

(STRIKE OUT WHICHEVER IS NOT APPLICABLE)

LIST OF ENCLOSURES:-

Copy of

1.	Age proof Certificate	All copy of Certificate must be attested by any Central/ State Govt. Gazzetted Officer or any other Competent Authority as per Govt.rule.
2.	Qualification Certificate (Madhyamik or Equivalent Examination/ITI Examination	
3.	SC/ST,OBC &PH(PC) & EWS Certificate (issued by competent authority)	
4.	Aadhar Card	

Note:

1. ONE CANDIDATE IS ELIGEBLE TO APPLY AGAINST ONE VACANCY ONLY.
2. Application must be filled in CAPITAL LETTER ONLY.
3. All copy of Certificates & Photographs affixed in Application Form must be attested by any Central / State Govt. Gazetted Officer or any other Competent Authority as per Govt. rule. Care should be taken that both the photographs are attested covering partly the Application Form.
4. Application must be according to above Format only and it should be send directly to the Chief General Manager,Machine Tool Prototype Factory, Ambarnath.

विज्ञापन

मुख्य महाप्रबंधक, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी, अंबरनाथ, ए.वी.एन.एल. की एक इकाई, भारत सरकार का उद्यम, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और (संशोधन) अधिनियम, 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में गैर-आई.टी.आई. और भूतपूर्व-आई.टी.आई. उम्मीदवारों से ट्रेड अप्रेंटिस के 61 वें बैच की तैनाती के लिए निम्नवत विवरण अनुसार अप्रेंटिस के रूप में तैनाती के लिए आवेदन आमंत्रित करती है :-

क्र.सं.	गैर-आई.टी.आई. /भूतपूर्व-आई.टी.आई.	ट्रेड का नाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ई.डब्ल्यू एस.	ओ. एच.	एचएच	वीएच	कुल	कुल योग
1.	गैर-आई.टी.आई.	फिटर	09	04	01	01	02	-	-	-	15	**कुल 83**
2.		टर्नर	11	06	02	02	02	-	01	-	21	
3.		मशीनिस्ट	15	07	03	02	03	-	-	-	27	
4.		एम.एम.टी.एम.	10	06	02	02	01	-	01	-	20	
1.	भूतपूर्व आई.टी.आई	फिटर	08	04	02	01	02	-	-	-	15	**कुल 79**
2.		टर्नर	10	06	02	02	02	01	01	-	20	
3.		मशीनिस्ट	14	07	03	03	03	01	-	-	27	
4.		इलेक्ट्रिशीयन	03	02	01	01	01	-	-	-	07	
5.		इलेक्ट्रोनीक्स	04	01	0	01	0	-	-	-	06	
6.		वेल्डर(जि&ई)	03	01	0	0	0	-	-	-	04	
											कुल योग	162

01.	**आयु सीमाः** आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 15 से 24 वर्ष के बीच। ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की अनुमति है :-	
क्रम सं.	**श्रेणी**	**आयु सीमा में छूट**
1)	अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति/ उम्मीदवारों के लिए	भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु में छूट लागू होंगी ।
2)	अन्य पिछड़ी जाति उम्मीदवारों के लिए	
3)	ई.डब्ल्यू.एस. उम्मीदवारों के लिए	
4)	शारीरिक रूप से विकलांग (शारीरिक दिव्यांगता प्रमाण- पत्र) / शारीरिक रूप से विकलांग (PC) या अलग-अलग दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए	
5)	आई.टी.आई. उम्मीदवारों के लिए	ऊपरी आयु सीमा में संबंद्ध ट्रेड में एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. प्रशिक्षण में सामान्यत: व्यतीत अवधि की छूट दी गई है।

2. **आवश्यक योग्यता:-**

क)	गैर-आई.टी.आई. श्रेणी के लिए	आवेदन करने के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि तक माध्यमिक (दसवीं कक्षा या समकक्ष) में सभी विषयों के साथ न्यूनतम 50% अंक सहित उत्तीर्ण होना चाहिए तथा गणित और विज्ञान दोनों विषय में न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य है।
ख)	आई.टी.आई. श्रेणी के लिए	एनसीवीटी या एससीवीटी या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय/ श्रम मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किसी भी अन्य प्राधिकरण और अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अनुसार रोजगार अवधि सहित माध्यमिक / दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष (मैट्रिकुलेट / दसवीं कक्षा और आई.टी.आई. दोनों में न्यूनतम 50% कुल अंक) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से संबंधित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण होना चाहिए। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 (और तदुपरांत संशोधन) के अनुसूची I के आधार पर ही संबंधित ट्रेड पर विचार किया जाएगा।

3. **रिक्ति का विवरण:**

I. रिक्तयों की संख्या अनंतिम है।

II भूतपूर्व-आई.टी.आई. उम्मीदवारों (आई.टी.आई. उत्तीर्ण) के लिए उपलब्ध ट्रेडों में रिक्तियाँ पहले से ही ऊपर उल्लिखित हैं। भूतपूर्व-आई.टी.आई. उम्मीदवार केवल निर्दिष्ट ट्रेडों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, गैर-आई.टी.आई. उम्मीदवारों के लिए ट्रेड, उम्मीदवारों की योग्यता सह पसंद के आधार पर आवंटित करने की अपेक्षा मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री में उपलब्ध विभिन्न ट्रेडों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार गैर-आई.टी.आई. उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

III शारीरिक दिव्यांग/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार भी अपनी पात्रता के अनुसार रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनका चयन प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 एवं प्रशिक्षुता नियमावली, 1992 के प्रावधानों एवं उसमें हुए संशोधनों के अनुसार उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक ट्रेड से संबंधित प्रचलित रिक्तियों के अनुसार किया जायेगा ।

IV जब अनुसूचित जाति (एस.सी.) या अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) से संबंधित व्यक्तियों की निर्धारित संख्या उपलब्ध नहीं होती है, तो उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थान अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकते हैं या विलोमत: स्थिति में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा जाए, अर्थात जैसा भी मामला हो। यदि उपरोक्त विधि से से भी पूर्वोक्त वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा रिक्तियाँ नहीं भरी जा सकें तो, इन रिक्तियों को गैर-अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जा सकता है। इसी प्रकार, यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित निर्धारित प्रशिक्षण रिक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के अभाव में गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार से भरा जा सकता है।

4. आवेदन कैसे करें:-

A उम्मीदवार को अनुबंध - I में उल्लिखित आवेदन पत्र जमा करना होगा ।

B उम्मीदवारों को अपना व्यक्तिगत विवरण सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, प्राप्तांक मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र आदि में दर्ज किए गए अंकों से बिल्कुल मेल खाएं। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पाए गए किसी भी विचलन से उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और प्रवेश खारिज कर दिया जाएगा।

C उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे आवेदन में अपने सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी का- उल्लेख करें।

i आवेदन पत्र भरते समय हाल ही में लिया गया का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ चिपकाना होगा ।

ii उम्मीदवार को आवेदन पर हस्ताक्षर करना होगा ।

iii 12 अंक आधार कार्ड संख्या अवश्य लिखें। जिन उम्मीदवारों के आधार नहीं है, लेकिन उन्होंने आधार का नामांकन किया है , वे आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित पहली 14 अंकों की नामांकन आई.डी. लिख सकते हैं।

iV राजपत्रित अधिकारी द्वारा निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए :-

a) आधार कार्ड नहीं होने कि स्थिति में पहचान पत्र।

b) एस.एस.सी. (मैट्रिकुलेशन / 10 वीं कक्षा) या इसके समकक्ष अंक पत्र।

c) जन्म तिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र (10 वीं कक्षा या इसके समकक्ष मैट्रिकुलेट प्रमाण पत्र या जन्म तिथि दर्शाने वाली मार्कशीट या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।

d) संबंधित ट्रेड जिस हेतु आवेदन किया गया है उस उत्तीर्ण आई.टी.आई. ट्रेड के सभी सेमेस्टर के लिए समेकित मार्कशीट / अंकयुक्त अनंतिम राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र।

e) आई.टी.आई. उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. द्वारा जारी अनंतिम नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट।

f) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, जहां भी लागू हो। अन्य पिछड़ी जाति गैर-क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों के लिए, उम्मीदवारों को पिछले तीन वर्षों में जारी अपने अन्य पिछड़ी जाति गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों को भी संलग्न करना होगा।

g) शारीरिक दिव्यांगता (पी.एच./पी.डब्ल्यू.डी.) के मामलों में सक्षम मेडिकल बोर्ड/प्राधिकरण द्वारा जारी शारीरिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ।

h) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को तहसिलदार अथवा जिलाधिकारी द्वारा जारी ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण-पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

i) अस्पष्ट/अपठनीय दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा और दस्तावेजों के सत्यापन के समय उम्मीदवार का आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

j) एक अभ्यर्थी से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। नाम/पिता का नाम/जाति/फोटो/शैक्षिक और/या तकनीकी योग्यता आदि जैसे विभिन्न विवरणों के साथ एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी आवेदनों को प्राथमिक स्तर पर ही खारिज कर दिया जाएगा।

k) आधार कार्डयुक्त अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को, दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपनी पहचान सिद्ध करने के उद्देश्य के लिए, अपना मूल आधार कार्ड अथवा उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।

l) दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को केन्द्र सरकार के प्रपत्र अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

5. चयन का तरीका:

चयन योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा। गैर-आई.टी.आई. और भूतपूर्व- आई.टी.आई. श्रेणियों के लिए अलग-अलग योग्यता सूची तैयार की जाएगी । गैर-आई.टी.आई. श्रेणी के लिए योग्यता सूची माध्यमिक या मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा या समकक्ष) में सभी विषयों में अर्जित कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार की जाएगी चाहे उम्मीदवार किसी भी बोर्ड से हो । गैर-आई.टी.आई. श्रेणी के लिए, एक सामान्य योग्यता सूची तैयार की जाएगी और ट्रेडों को आबंटन योग्यता-सह-पसंद के आधार पर किया जाएगा।

भूतपूर्व-आई.टी.आई. श्रेणी के लिए योग्यता सूची मैट्रिक और आई.टी.आई. दोनों में अंकों के साधारण औसत प्रतिशत (प्रत्येक में कुल मिलाकर न्यूनतम 50%) के आधार पर ट्रेड-वार तैयार की जाएगी। मैट्रिक के प्रतिशत की गणना के उद्देश्य से, उम्मीदवारों द्वारा सभी विषयों में अर्जित प्राप्तांक को ध्यान में रखा जाएगा और आई.टी.आई. अंकों के प्रतिशत की गणना के लिए अनंतिम/अंतिम प्रमाण पत्र में उल्लिखित अंकों को लिया जाएगा। माध्यमिक (दसवीं कक्षा या समकक्ष) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों को सभी बोर्ड / परीक्षा प्रणाली के उम्मीदवारों के लिए समान रूप से माना जाएगा और केवल उस बोर्ड / परीक्षा प्रणाली के प्रतिशत सूत्र के अनुसार माना जाएगा।

रिक्तियों के आधार पर, चयन सूची तैयार की जाएगी और केवल अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। योग्यता सूची तैयार करने के लिए, दो उम्मीदवारों के समान अंक / प्रतिशत (टाई केस) होने की स्थिति में, अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी एक ही हो तो मैट्रिक की परीक्षा पहले (वर्ष) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम माना जायेगा । भले ही मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एक ही हो तो वर्णानुक्रम में पहले नाम आनेवाले उम्मीवदवार को चयनित किया जाएगा।

योग्य उम्मीदवारों की चयन सूची को अंतिम रूप देते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी। निरीक्षण या अन्यथा किसी गलती या त्रुटि के मामले में, एमटीपीएफ योग्य उम्मीदवारों की चयन सूची को संशोधित करने के लिए किसी भी समय कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में एमटीपीएफ/ए.वी.एन.एल. का निर्णय अंतिम होगा।

6. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएच उम्मीदवारों के लिए आरक्षण: -

अप्रेंटिस अधिनियम,1961, प्रशिक्षुता नियम 1992 और तदुपरान्त संशोधनों और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और मौजूदा सरकारी नियमों के तहत नियमों में संबंधित अनुसूची के अनुसार आरक्षण लागू है। ई.डब्ल्यू.एस., पी.एच./पी.डब्ल्यू.डी. श्रेणी के लिए अधिसूचित रिक्तियाँ अलग नहीं हैं, लेकिन प्रावधान के अनुसार कुल रिक्तियों की संख्या में शामिल हैं। उम्मीदवारों का अंतिम चयन लागू आरक्षण नियमों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के क्रम में अलग से किया जाएगा।

7. प्रशिक्षण की अवधि:

गैर-आई.टी.आई. के लिए	:	2 साल का प्रशिक्षण।
भूतपूर्व आई.टी.आई.	:	1 वर्ष का प्रशिक्षण ।

8. वजीफा :

i) ए.पी.एन.एल. मुख्यालय के दिनांक 30/04/2025 के पत्रांक AVNL/CO/HR/12/T&D/2025-26 अनुसार ट्रेड अप्रेंटिसों को निम्नानुसार प्रति माह न्यूनतम वजीफा का निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा :-

गैर-आई.टी.आई. उम्मीदवारों के लिए:-	
प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान	रूपये 12600/- प्रति माह
द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान	रूपये 14400/- प्रति माह
भूतपूर्व आई.टी.आई. उम्मीदवारों के लिए:-	
सभी दो वर्षीय आई.टी.आई. ट्रेड उम्मीदवारों के लिए	रूपये 16200/- प्रति माह
सभी एक वर्षीय आई.टी.आई. ट्रेड उम्मीदवारों के लिए	रूपये 14400/- प्रति माह
प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान किसी अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।	

9. शारीरिक स्वास्थ्य का मानक: अप्रेंटिस अधिनियम, 1961, प्रशिक्षुता नियम 1992 और उसके संशोधनों के अनुसार ।

10. चिकित्सा परीक्षण:

अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के सफल दस्तावेज सत्यापन उपरांत प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को सरकारी अस्पताल/सी.जी.एच.एस. मान्यता प्राप्त अस्पताल के सहायक सिविल सर्जन से मेडिकल फीटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी तैनाती (एंगेजमेंट)याँ, पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार उम्मीदवार की चिकित्सा योग्यता के अधीन होंगी। इस संबंध में शासकीय डॉक्टर की राय अंतिम होगी। कर्मचारी को कंपनी के साथ अपनी तैनाती (एंगेजमेंट) की अवधि के दौरान किसी भी समय चिकित्सा जाँच करवानी होगी। ऐसी तैनाती (एंगेजमेंट) के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त/अयोग्य पाए जाने पर तैनाती (एंगेजमेंट) किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

11. नियम एवं शर्तें: -

चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप का अनुबंध निष्पादित करना होगा (यदि नाबालिग है, तो उसके अभिभावक द्वारा)। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु नियमानुसार केवल आयुध निर्माणी अस्पताल से चिकित्सा उपचार के लिए पात्र हैं। यदि एक उम्मीदवार को ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में चुना जाता है, नामित ट्रेडों के लिए, उसका प्रशिक्षण संबंधित आर.डी.एस.डी.ई. द्वारा पंजीकरण के अधीन होगा।

यदि किसी कारण से आर.डी.एस.डी.ई. उम्मीदवार को पंजीकृत नहीं कर पाते हैं, तो उम्मीदवार का प्रशिक्षण तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। उम्मीदवार के प्रशिक्षण अवधि पूरी करने पर उसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करने पर व्यावसायिक ट्रेडों में उसकी प्रवीणता का निर्धारण उस संस्थान द्वारा किया जाएगा जिसमें उसने एक प्रशिक्षु के रूप में सेवा की है। राष्ट्रीय परिषद द्वारा ट्रेड में प्रवीणता का प्रमाण पत्र दिया जाए।

नियमों और शर्तों को पूरा करने में प्रशिक्षु की ओर से विफलता के लिए प्रशिक्षुता के अनुबंध की समय पूर्व समाप्ति की स्थिति में (जैसा कि प्रशिक्षुता नियम 1992 के तहत अधिसूचित किया गया है) और तदनुसार संशोधन के अधीन प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा निर्धारित, ज़मानत राशि का भुगतान प्रशिक्षण की लागत के रूप में करना होगा।

12. रोजगार की पेशकश और स्वीकृति :-

प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने पर नियोक्ता के लिए उन्हें नौकरी प्रदान करना बंधनकारक नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु के लिए भी, यह बंधनकारक होगा कि वह नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत रोजगार की पेशकश को स्वीकार करे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अप्रेंटिस अधिनियम, 1961, प्रशिक्षुता नियम 1992 और उसके संशोधनों तथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों और विनियमों से भली-भांति परिचित हों।

13. चिकित्सा स्वास्थ :-

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 और समय-समय पर संशोधित प्रशिक्षुता नियम,1992 के तहत उम्मीदवार केवल तभी प्रशिक्षण के लिए पात्र होगा, जब वह संबंधित ट्रेडों में प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए वांछित निर्धारित शारीरिक स्वास्थ्य के न्यूनतम मानकों को पूरा करता है जिसका प्रमाणन किसी भी जिला शासकीय अस्पताल / सी.जी.एच.एस.अस्पताल के सिविल सर्जन द्वारा किया जाएगा।

14. उम्मीदवारों के लिए सामान्य जानकारी: -

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक नोट कर लें: -

I इच्छुक उम्मीदवार संलग्न प्रारूप में पूर्ण जीवनवृत्त सहित जाति प्रमाण - पत्र और जन्मतिथि प्रमाण पत्र और सभी प्रमाण-पत्रों की जेरोक्स प्रतियों पर राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापपित करवाकर **"मुख्य महाप्रबंधक, मशीन औज़ार आदिरूप फैक्टरी, ए.वी.एन.एल. की एक इकाई, भारत सरकार का उद्यम, अंबरनाथ, जिला - ठाणे, महाराष्ट्र, पिन: 421 502"** के पते पर दिनांक 01/09/2025 तक या उससे पूर्व प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

II यह ध्यान दिया जाए कि आवेदन के सौंपने मात्र से अप्रेंटिस के रूप में शामिल होने की गारंटी नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन श्रेणीवार उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए योग्यता सूची/चयन सूची के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में सभी आवेदकों की उम्मीदवारी विशुद्ध रूप से अनंतिम होगी। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी और चयन, दस्तावेजों/ क्रेडेंशियल्स की मूल प्रतियों, अनुकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षण और विज्ञापन में उल्लिखित अन्य पात्रता मानदंड तथा अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और प्रशिक्षुता नियम, 1992 तथा तदुपरान्त हुई सभी संशोधनों के प्रावधानों के अधीन होंगी।

III उम्मीदवारों को सावधानीपूर्वक विज्ञापन को विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता मानदंड में प्राप्तांकों / प्रतिशत को सावधानीपूर्वक भरें/ दर्ज करें।

IV उम्मीदवारों को वैध मोबाइल नंबर और ई-मेल आई.डी. देना आवश्यक है।

V किसी भी प्रकार की अनुयाचना उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगी। चयन प्रक्रिया मात्र योग्यता के आधार पर की जाती है।

VI उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आएं।

VII तथ्यों को छुपाने या जाली प्रमाण-पत्र जमा करने पर चयन के किसी भी स्तर पर एवं प्रक्रिया में उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

VIII पात्रता, किसी भी आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति आदि से संबंधित सभी मामलों में एमटीपीएफ/ए.वी.एन.एल. का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

IX मौजूदा नियमों के अनुसार ट्रेड अप्रेंटिस की नियुक्ति के नियमों और शर्तों में बाद में कोई भी बदलाव मान्य रहेगा। एमटीपीएफ के पास ट्रेड अप्रेंटिस तैनाती (एंगेजमेंट) संबंधी जारी इस विज्ञापन नोटिस के नियमों और शर्तों में जरूरी समझी जानेवाली और बाद में लागू होने वाले बदलाव, आशोधन/ परिवर्धन को समाहित करने का अधिकार सुरक्षित है ।

X आकस्मिकता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के पास आंशिक या पूर्ण रूप से चयन के किसी भी वैकल्पिक कानूनी तरीके को अपनाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

XI दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाए गए किसी भी उम्मीदवार को कोई परिवहन भत्ता देय नहीं होगा ।

XII अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और प्रशिक्षुता नियम, 1992 तथा तदुपरांत हुए सभी संशोधनों के प्रावधान आज की तिथि तक लागू होंगे।

अनुलग्नक - I

ट्रेड अप्रेंटिस के तौर पर नियुक्ति हेतु आवेदन

मशीनी औजार आदिरूप निर्माणी, अंबरनाथ, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की एक इकाई ,

भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय

प्रशिक्षु अधिनियम 1995 और विकलांगता अधिनियम 1961

हाल ही लिया गया पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक,
मशीनी औजार आदिरूप निर्माणी अंबरनाथ,
आयुध निर्माणी इस्टेट, अंबरनाथ (पश्चिम) – 421502,
जिला –थाणे, महाराष्ट्र

1.	आवेदक का पूर्ण नाम (विद्यालय प्रमाण-पत्र अनुसार)		 मोबाइन नं. ई-मेल आई.डी.
2.	माता/पिता का नाम		
3.	पत्राचार हेतु पिनकोड सहित पूर्ण आवासीय पता		
4.	यदि आवेदक नाबालिग है, तो अभिभावक का उससे संबंध एवं आवासीय पता		
5.	आधार क्रमांक		
6.	जन्मतिथि क) आयु		
	आयु		वर्ष माह दिन
7.	लिंग		पुरूष / स्त्री
8.	राष्ट्रीयता		
9.	राज्य का अधिवास का प्रमाण - पत्र		
10.	वैवाहिक स्थिति		विवाहित/अविवाहित
11.	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/ ई.डब्ल्यू.एस./शारीरिक विकलांक श्रेणी के हैं ?		हाँ/नहीं
12.	विलांगता का प्रतिशत (शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए)		
13.	शैक्षिक अर्हता/पात्रता -:		

i. परीक्षा उत्तीर्ण, ii.उत्तीर्ण होने का वर्ष iii.बोर्ड का नाम जिसके अंतर्गत परीक्षा आयोजित की गई।	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक		प्राप्त अंकों का प्रतिशत (%)
	कुल अंक/ प्राप्तांक	प्राप्त अंकों का प्रतिशत (%)	i) ______________गणित में ii) ______________विज्ञान (भौतिक, रसायन विज्ञान)
i) ii) iii)			

14.तकनीकी योग्यता (आईटीआई श्रेणी के आवेदकों के लिए):-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समकक्ष संस्थान का नाम और पता	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम एवं उत्तीर्ण होने का वर्ष	ट्रेड जिसमें उत्तीर्ण	अध्ययन की अवधि	पूर्णांक /प्राप्तांक

15. घोषणा :- मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन में दिए गए सभी कथन/तथ्यो सही हैं और मैंने एक विशिष्ट ट्रेड रिक्ति के लिए आवेदन किया है। मैं समझता हूँ कि यदि उपरोक्त दी गई जानकारी गलत/अपूर्ण पाई जाती है तो मैं किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित किया जा सकता हूँ।	
अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर (यदि आवेदक नाबालिग है) दिनांकः	उम्मीदवार के पूर्ण हस्ताक्षर : दिनांक
अभिभावक का नामः उम्मीदवार /आवेदक के साथ संबंध :	(उम्मीदवार का नाम)

(जो लागू न हो उसे हटा दें।)

संलग्नकों की सूची :

1.	आयु प्रमाण पत्र	शासकीय नियमानुसार प्रमाण पत्र की सभी प्रतियां किसी भी केंद्रराज्य / सरकार के राजपत्रित अधिकारी या सरकार के अनुसार किसी अन्यसक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।
2.	योग्यता प्रमाण पत्र माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा/आईटीआई परीक्षा	
3.	(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. और पी.एच. (पी.सी.), ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र	
4.	आधार कार्ड	

नोट :-

1 एक उम्मीदवार केवल एक रिक्ति के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है।

2 आवेदन केवल बड़े (कैपिटल) अक्षर में ही भरा जाना चाहिए।

3 आवेदन फॉर्म में चिपकाए गए प्रमाणपत्रों और तस्वीरों की सभी प्रतियाँ किसी भी केंद्र राज्य सरकार /के राजपत्रित अधिकारी या नियमानुसार किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सत्यापन तस्वीरें आवेदन पत्र दोनों को आंशिक रूप से को कवर करते हैं।

4 आवेदन केवल उपरोक्त प्रारूप के अनुसार होना चाहिए और इसे सीधे मुख्य महाप्रबंधक ,मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्र , अंबरनाथ को भेजा जाना चाहिए।